

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/पविप/5वीं-8 वीं परीक्षा/मानदण्ड/21-22/32-34 दिनांक- 27.09.2022

## परिपत्र

कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम से संबंधित पूर्व में जारी परिपत्र-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/मानदण्ड/2016-17 दिनांक-14.04.2016 के क्रम में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 8 एवं 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के लिए निम्नांकित मानदण्ड जारी किए जाते हैं। यह मानदण्ड कक्षा 8 एवं कक्षा 5 परीक्षा 2022 के परिणाम से प्रभावी होंगे। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

### 1 संस्था प्रधान

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम-विद्यालय का कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (कक्षा 8 एवं कक्षा 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम- विद्यालय कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोट- यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिए उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

### 2 शिक्षक

(अ) श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम- कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन किए जा रहे हे विषय परीक्षा परिणाम में 95 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए)

(ब) न्यून परीक्षा परिणाम- कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापक (लेवल 1 एवं लेवल 11 जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ई प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

नोट- यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिए उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

3 क्रियान्वयन की रूपरेखा-उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा-

3.1 संस्था प्रधान/शिक्षक का सत्र में (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम उपस्थिति 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.3 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया है तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों का कुल परिणाम (सभी कक्षा वर्ग के प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.4 सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

#### 4 सक्षम अधिकारी

4.1 संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा दिया जाएगा।

संस्था प्रधान राउप्रावि के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे जिस पर संयुक्त निदेशक द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

4.2 शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा।

अध्यापक ग्रेड III (लेवल II एवं लेवल I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा की जाएगी।

#### 5 समय सारणी

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिए परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है अतः उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान/शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना।

5.3 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवम्बर से पूर्व।

5.4 संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को अनुशंसा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना-15 दिसम्बर से पूर्व।

5.5 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना-15 जनवरी से पूर्व

5.6 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान-26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे।



6 न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-

- 6.1 न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण- 30 जुलाई तक
- 6.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करना-10 अगस्त तक
- 6.3 कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि-30 अगस्त तक
- 6.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना-10 सितम्बर तक
- 6.5 व्यक्तिगत सुनवाई- 10 अक्टूबर तक

निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

  
(गौरव अग्रवाल)  
IAS

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक क्रमांक-शिविरा/प्रारं/पंचिप/5वीं-8 वीं परीक्षा/मानदण्ड/21-22  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक- 25.09.2022

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज(प्रारं.शि.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, समस्त।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक समस्त
6. वरिष्ठ संपादक शिविरा प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रकाशनार्थ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
8. पीईईओ/यूसीईईओ समस्त।

  
पजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,  
राजस्थान, बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर


क्रमांक - शिविरा/माध्य/वि0जांच/सी/11420/शालादर्पणप्रकोष्ठ/10 दिनांक 29/09/2022  
समस्त संस्था प्रधान  
राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय

विषय - शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का विवरण अपडेट करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत संस्था प्रधानों एवं विषयाध्यापकों के बोर्ड परीक्षा परिणाम निर्धारित विभागीय मापदण्ड से न्यून रहने पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में सत्र 2021-22 के दौरान विद्यालय के कक्षा 10 व 12 बोर्ड के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। अतः सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 10 एवं 12 को अध्यापन कराने वाले अध्यापकों/व्याख्याताओं एवं संस्था प्रधानों के प्रमाणित बोर्ड परीक्षा परिणाम दिनांक 29.09.2022 से 01.10.2022 तक शालादर्पण पर परिणाम(RESET) टैब के अन्तर्गत "बोर्ड परीक्षा परिणाम मॉड्यूल" में प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें।


लॉक करने के उपरान्त कोई त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में कुछ समय तक अनलॉक की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर त्रुटि का सुधार किया जा सकता है।



  
(गौरव अग्रवाल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. राज्य परियोजना, निदेशक समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राज0स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा)विभाग, राज0बीकानेर।
3. तकनीकी निदेशक एनआईसी, जयपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य को प्रभावी प्रबोधन कर यथासमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
10. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक निदेशक(वि0जांच)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर